कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/61069/2019–20/10 दिनांक 11.02.2021 तथा 24.03.2021 के द्वारा शहरी क्षेत्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वेतन आहरण आदि शहरी संकुल प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (UCEEO) को एतद्द्वारा नामित किया जाकर अधिकृत किया गया था। नामित शहरी संकुल प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (UCEEO) निर्धारित सम्बन्धित शहरी सीआरसी परिक्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/संस्था प्रधानों के संस्थापन सम्बन्धित कार्य एवं वेतन आहरण सम्बन्धी कार्य पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की भांति ही सम्पादित करेंगे।

विभाग के ध्यान में आया है कि अधिनस्थ कई PEEO एवं UCEEO द्वारा विगत दिनों में उप्रावि से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन का आहरण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो विद्यालय माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हो गया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि जब तक PEEO एवं UCEEO के अधिनस्थ का कोई उप्रावि माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हो गया है तो जब तक उस विद्यालय को माध्यमिक स्तर के पदों का आवंटन तथा कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा नहीं की जाती है एवं उप्रावि/प्रावि स्तर के शिक्षकों/कार्मिकों का अन्यत्र काउसिंलिंग द्वारा समायोजन नहीं हो जाता है तब तक आगामी निर्देशों तक पूर्ववत उन शिक्षकों/कार्मिकों का सम्बन्धित PEEO एवं UCEEO वेतन आहरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–6/25650/2021–22/ दिनांक :– 12/04/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग ।
2. उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
7. प्रभारी अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को भेजकर निर्देश है कि अधिशेष प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों/कार्मिकों का शाला दर्पण पर अंकन कराये जाने से सम्बन्धित आगामी कार्यवाही करावें।
8. समस्त **PEEO/UCEEO** को पालनार्थ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर